प्रेषक,

प्रशांत त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2017

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों एवं दन्त शल्यकों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों एवं दन्त शल्यकों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

2– **यह नीति प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों एवं दन्त शल्यकों पर लागू होगी।**

2.1 स्थानान्तरण हेतु प्रदेश के जनपदों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में शहरीकरण, स्वास्थ्य सुविधायें, पहुंच, पिछड़ेपन आदि के आधार पर विभाजित किया जाता हैः–

श्रेणी–A लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद, उन्नाव। (16)

श्रेणी–B फैजाबाद, हरदोई, मुजफ्फरनगर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, सुलतानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, बुलन्दशहर, हापुड़, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, झांसी, शाहजहांपुर, गोण्डा, फर्रूखाबाद, रामपुर, इटावा, फतेहपुर, पीलीभीत।(29)

श्रेणी–C एटा, कासगंज, कौशाम्बी, बदायूँ, बहराइच, संतकबीर नगर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, मैनपुरी, सम्भल, अमरोहा, शामली, औरैया, जालौन, मीरजापुर, बांदा, भदोही, अमेठी। (19)

श्रेणी–D सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चन्दौली, महराजगंज, कुशीनगर।(11)

2.2 स्थानान्तरण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैंः–

(1) **प्रशासनिक आधार परः:** शिकायत, भ्रष्टाचार का आरोप, खराब आचरण, कदाचार/खराब प्रदर्शन आदि के आधार पर किये गये स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार की श्रेणी में आते हैं।

(2) **जनहित मेंः:** उपलब्ध मानव संसाधनों का समानुपातिक वितरण एवं सर्वोत्कृष्ट उपयोग के उद्देश्य से किये गये स्थानान्तरण इस श्रेणी में आयेगें।

(3) **निजी अनुरोध परः:** इस श्रेणी में चिकित्सक द्वारा निजी/अन्य कारणों से किये गये अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण आयेगें।

2.3 प्रस्तर–2.2(3) अर्थात निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष 01 फरवरी

.....2

से 31 मार्च तक किये जा सकेगें तथा 01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर तक पुनः आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

ऐसे चिकित्सक जो स्वयं, उनकी पत्नी अथवा उनके आश्रित बच्चे मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गये हों, गम्भीर बीमारी (यथा–कैंसर, थेलीसिमीया) से ग्रसित हो गये हों अथवा उनकी पति/पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, को स्थानान्तरण से उस वर्ष हेतु यह छूट प्राप्त होगी कि वह 31 मार्च के उपरान्त भी निजी अनुरोध पर आवेदन दे सकेंगे बशर्ते कि उपरोक्त घटनाएं आवेदन देने के एक वर्ष के भीतर घटित हुई हो।

2.4 दिनांक 30 जून तक उपर्युक्तानुसार किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त समय सीमा व्यतीत होने के पश्चात् स्थानान्तरण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि(31 मार्च एवं 2017 के लिए 30 जून, 2017) के समस्त स्थानान्तरण यथासम्भव एक (अधिकतम दो) सूचियों में किए जायेगें।

2.5(क) निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु आवेदनः–

(i) उक्त आवेदन प्रत्येक वर्ष 01 फरवरी से 31 मार्च तक स्वीकार किये जायेगें तथा 01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर तक पुनः आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(ii) उक्त आवेदन मानव सम्पदा साफ्टवेयर में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर 03 विकल्प सहित, द्वारा उचित माध्यम, किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदन जो उचित माध्यम से प्राप्त नहीं होगे, पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) आवेदन स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) प्रारूप में सभी तीन विकल्प भरना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

(v) यदि आवेदक आवेदन देने के उपरान्त विकल्प बदलने का इच्छुक हो तो वह उक्त निर्धारित प्रारूप पर ही दूसरा आवेदन उसी वर्ष के 15 मार्च तक दे सकता है। उक्त तिथि व्यतीत होने के पश्चात् दूसरा आवेदन स्वीकार नहीं होगा। दूसरे आवेदन के साथ आवेदक का पूर्व में प्रेषित आवेदन की प्रति संलग्न करनी होगी।

(vi) जिन चिकित्साधिकारियों को सेवा में 05 वर्ष व्यतीत हुए हैं, वे केवल श्रेणी–D एवं C श्रेणी के जनपदों के विकल्प देने हेतु पात्र होंगे।

(vii) जिन चिकित्साधिकारियों को सेवा के 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम व्यतीत हुए हैं, वे श्रेणी–C या D के जनपदों का विकल्प देने के लिए पात्र होंगे एवं श्रेणी–B के जनपदों का विकल्प उसी दशा में दे सकते हैं, जब उनके द्वारा श्रेणी–D के जनपदों में कम से कम दो वर्ष की सेवा की गयी हो और श्रेणी–C एवं D के जनपदों में कुल मिलाकर 05 वर्ष की सेवा की गयी हो।

(viii) जिन चिकित्साधिकारियों की कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हैं, वे श्रेणी–C एवं D के अतिरिक्त श्रेणी–B या A के जनपदों हेतु आवेदन देने हेतु उसी दशा में पात्र होंगे जब उनके द्वारा श्रेणी–C एवं D में कुल मिलाकर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई हो।

(ix) ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जो प्रशिक्षण के उपरान्त किसी एफ0आर0यू0,एस0 एन0सी0यू0

.....3

अथवा जे0ई0 प्रभावित जनपदों में ई0टी0सी0 अथवा आई0सी0यू0 में तैनात हों, उन्हें अपने आवेदन–पत्र के साथ इस तथ्य को अनिवार्यतः अंकित करना होगा। इसके उपरान्त उनका स्थानान्तरण यथासंभव ऐसी इकाई में किया जायेगा जहां उक्त विशेषज्ञता से संबंधित सेवायें प्रदान की जा रही हों। ऐसे चिकित्सक जो किसी प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश पर हों अथवा शासकीय व्यय पर पी0जी0 कर रहे हों, को उक्त अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त उनकी विशेषज्ञता के अनुसार तैनात किया जायेगा।

(x) चिकित्सक द्वारा दिये गये तीन विकल्प में से किसी एक विकल्प पर तैनाती होने की दशा में उसे तैनाती जनपद में तीन वर्ष तक सेवा करना अनिवार्य होगा। अतः वह अगले 3 वर्ष तक पुनः निर्धारित प्रारूप पर आवेदन देने हेतु पात्र नहीं होगा। उक्त के संबंध में चिकित्सक को तैनाती स्थान पर योगदान देते समय लिखित रूप से सहमति देनी होगी। लिखित सहमति न देना, नवीन तैनाती स्थान पर योगदान न देना एवं तीन वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करना कदाचार की श्रेणी में आयेगा, जिसके लिए संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(xi) उक्त प्रस्तर–(vi) से (ix) में उल्लिखित जनपदों हेतु अर्ह ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिनके पति/पत्नी उ0प्र0 के स्वास्थ्य विभाग/एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदा के आधार पर चिकित्साधिकारी के पद पर पर तैनात हैं, को **यथासंभव** एक ही जनपद में तैनात किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2.5(ख)(i) निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले चिकित्साधिकारी उपरोक्त के आधार पर अपनी पात्रता से पृथक किसी भी जनपद में स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकते हैं:–

(1) ऐसे चिकित्सक जो स्वयं अथवा उनकी पत्नी या बच्चे ऐसी शारीरिक/मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जो दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016(Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के परिशिष्ट में अनुसूचित हैं।

(2) ऐसे चिकित्सक जो आवेदन की तिथि से पिछले 02 वर्ष में गम्भीर रोग(जैसे कैन्सर) से ग्रसित हुए हो अथवा उनके पति/पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, को उस स्थानान्तरण वर्ष हेतु छूट प्रदान की जायेगी।

2.5(ख) (ii) उक्त समस्त छूट–प्राप्त चिकित्साधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन देना अनिवार्य है परन्तु वह 03 विकल्प के स्थान पर छूट प्राप्त करने हेतु संबंधित आवश्यक अभिलेख अपलोड करेगें। जमा किये गये अभिलेखों के परीक्षण हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा अनुमोदित की गयी छूट मान्य होगी।

2.5(ग) स्थानान्तरण अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जायेगा। स्थानान्तरण अनुरोध पर विचार करते समय उपलब्ध रिक्तियों के अतिरिक्त चिकित्सकों की समानुपातिक तैनाती को देखते हुए निर्णय लिया जायेगा। मात्र संबंधित श्रेणी की अर्हता होने से इच्छित तैनाती किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

2.6(क) ऐसे चिकित्साधिकारी जो लगातार एक ही जनपद में 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं, को 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप पर तीन विकल्प भरना अनिवार्य होगा। जो चिकित्साधिकारी श्रेणी A के जनपद में तैनात हैं वह श्रेणी A के जनपद को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के जनपद का विकल्प भर सकते हैं। श्रेणी B, C एवं D के जनपदों में तैनात चिकित्साधिकारी प्रस्तर–2.5 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप

.....4

अपनी पात्रता के आधार पर विकल्प भर सकते हैं।

(ख) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपद में उक्त नियम 2.6(क) के अर्न्तगत आने वाले सभी चिकित्सक अपने विकल्प भरें। मुख्य चिकित्साधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र देगें कि उनके जनपद का कोई चिकित्सक छूटा नहीं है।

(ग) 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि की तैनाती की सीमा मे आने वाले चिकित्सा अधिकारियों को छूटः–

(1) ऐसे चिकित्सक जो स्वयं अथवा उनकी पत्नी या बच्चे ऐसी शारीरिक/ मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जो दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) में अनुसूचित है अथवा गम्भीर बीमारी (यथा–कैंसर) से ग्रसित हैं।

(2) एकल/तलाकशुदा/विधवा महिला चिकित्साधिकारी अथवा ऐसी महिला चिकित्साधिकारी जिनके मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग आश्रित बच्चे उनके साथ रहते हों।

(3) ऐसे चिकित्सक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष रहता हो।

(4) ऐसे चिकित्सक जिनके बच्चे कक्षा 10 या 12 में हो उन्हें मात्र उसी शैक्षणिक–सत्र के लिए स्थानान्तरण से छूट होगी।

ऐसे छूट प्राप्त चिकित्साधिकारी भी नीति के प्रस्तर–2.5(ख)ii से आच्छादित होंगें।

2.7 किसी चिकित्सालय/संस्थान में प्रशासनिक पद पर तैनात चिकित्साधिकारी के पति/पत्नी को उसी चिकित्सालय/संस्थान में उनके अधीन तैनात नहीं किया जायेगा।

2.8 ऐसे चिकित्सक जिनके द्वारा पी0एम0एच0एस0 संघ (राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) के पदाधिकारी के पद पर एक वर्ष के भीतर कार्यभार ग्रहण किया गया है, को केवल प्रशासनिक आधार पर मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरित किया सकेगा।

2.9 किसी भी जनपद/जिला चिकित्सालय में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में तैनाती नही की जायेगी और न ही किसी चिकित्सक को मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध किया जायेगा।

2.10 प्रशासनिक आधार पर जो स्थानान्तरण किये जायेंगे, उनमें जनपदों के निर्धारण हेतु प्रस्तर–2.5 एवं 2.6 में उल्लिखित सिद्धान्त का अनुपालन किया जायेगा।

3.0–सामान्य निर्देश/बिन्दु–

(क) स्थानान्तरण वर्ष अप्रैल से मार्च होगा।

(ख) विरोधाभास की स्थिति में यह नीति पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों एवं दन्त शल्यकों हेतु प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति को ओवरराइड करेगी।

(ग) स्थानान्तरण नीति में ''विशेषज्ञ/विशेषज्ञता'' से तात्पर्य उन एलोपैथिक चिकित्सक या दन्त शल्यक से होगा जो या तो परास्नातक (एम0डी0/एम0एस0/डी0एन0बी0) हो अथवा किसी पंजीकृत संस्था से विशेषज्ञता (परास्नातक अथवा उसके बिना) प्राप्त हो। इसमें सुपर स्पेशलाईजेशन यथा–डी0एम0/एम0सी0 एच0/एम0डी0एस0 भी सम्मिलित है।

(घ) इस स्थानान्तरण नीति में ''अनधिकृत अनुपस्थिति'' चिकित्सक का तात्पर्य ऐसे चिकित्सक से होगा जो एक माह से अधिक अवधि से बिना अवकाश स्वीकृत कराये

.....5

अनुपस्थित चल रहा हो।

(ङ) एक स्थान पर तैनाती की अवधि की गणना आवेदन की तिथि से कीजायेगी तथा अन्तिम वर्ष की नौ माह से अधिक अवधि को पूर्णांकित रूप से एक वर्ष समझा जायेगा।

(च) अनधिकृत अनुपस्थिति, अध्ययन अवकाश, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण एवं निलम्बन की अवधि को तैनाती अवधि में गणना नहीं किया जायेगा।

(छ) छः माह से अधिक की अनधिकृत अवधि के उपरान्त संबंधित पद को रिक्त मानते हुए उस पर नयी तैनाती की जायेगी।

(ज) नियमित सत्र के दौरान संबंधित स्थानान्तरण वर्ष में एक जनपद से उस जनपद की कुल तैनाती संख्या के 25 प्रतिशत् से अधिक चिकित्सकों के स्थानान्तरण नहीं किये जा सकेंगे। दिसम्बर माह के स्थानान्तरण सत्र की सीमा 05 प्रतिशत होगी। यदि उक्त सीमा से अधिक अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण का विकल्प दिया जाता है तो विभागीय मन्त्री के अनुमोदन से नीति निर्धारित कर स्थानान्तरण हेतु चिकित्साधिकारियों का चयन किया जायेगा।

(झ) किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती उसी स्थान पर की जायेगी जहां उस विशेषज्ञता से संबंधित उपकरण/सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हों।

(ञ) जनपद के आहरण–वितरण अधिकारी स्थानान्तरित चिकित्सकों के योगदान/कार्यमुक्ति की कार्यवाही कार्यभार ग्रहण काल के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे। स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थानान्तरणाधीन चिकित्सक का वेतन आहरित न किया जाय। ऐसा नहीं किये जाने की दशा में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के वेतन वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।''

(ट) रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर जनपद की श्रेणीवार प्रदर्शित की जायेगी।

3.1– वर्ष 2017 हेतु चिकित्साधिकारियों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि 15 जून, 2017 से 30 जून, 2017 तक होगी। वर्ष 2017 हेतु स्थानान्तरण के प्रस्ताव दिनांक 20 जुलाई, 2017 तक विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी होगें।

4– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशांत त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या :–3794 (1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(प्रशिक्षण), उ0प्र0, लखनऊ।

3– निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।

5– निदेशक, एस0पी0एम0 सिविल चिकित्सालय/बलरामपुर चिकित्सालय/डा0आर0 एम0 एल0 संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती/मानसिक रोग चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।

.....6

6– निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7– निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8– मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10– समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
11– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला(पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ0प्र0।
13– कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
14– चिकित्सा अनुभाग–1/3/4/5/6/7/8/9/10।
15– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।